विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक L00-05/2025

श्री मलीक अशरफ निवासी मीठा मौला आजाद नगर
तहसील व जिला बुरहानपुर (म0प्र0) — **आवेदक**
पिन कोड – 450331 (म.प्र.)
मो.– 9926611335, 7974617003

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री /सहायक यंत्री (शहर) संभाग,
म.प्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, — **अनावेदक**
शनवार/लालबाग रोड बुरहानपुर (म.प्र.)
पिन कोड –450331 (म.प्र.)

आदेश
(दिनाँक 18 जुलाई, 2025)

आवेदक की ओर से आवेदक के अधिकृत अधिवक्ता श्री अनीस अंसारी उपस्थित।
अनावेदक की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री अशफाक शेख, जूनियर इंजीनियर उपस्थित।

01. आवेदक द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक W0583225 में पारित आदेश दिनाँक 24.03.2025 से असंतुष्ट होने के कारण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 (6) के अंतर्गत यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उक्त अभ्यावदेन में विद्युत कनेक्शन क्रं. 3957008605 पर मांग की जा रही जले मीटर की राशि रू. 16,500/– निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

02. दिनाँक 21.05.2025 को प्राप्त अभ्यावेदन में आवेदक/उपभोक्ता ने उसकी ओर से अधिवक्ता श्री अनीस अहमद अंसारी को नामांकित किया गया। उक्त अभ्यावेदन में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन पर **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम 2021 की कण्डिका 3.37 एवं 3.38** का पालन पाए जाने पर प्रकरण को दर्ज कर प्रथम सुनवाई **दिनाँक 16.06.2025** को नियत की गई। प्रकरण में प्रस्तुत

विषय–वस्तुओं के परीक्षण हेतु फोरम से मूल नस्ती मंगाई गई एवं उभयपक्षों को **दिनाँक 16.06.2025** को प्रथम सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किये गये।

03. **प्रकरण के संक्षिप्त बिन्दु निम्नानुसार हैः–**

आवेदक को आटा चक्की हेतु विद्युत कनेक्शन क्र. 3957008605 जिसका स्वीकृत भार 13 एच. पी. है, अनावेदक द्वारा प्रदाय किया जा रहा है। उपभोक्ता द्वारा उक्त विद्युत संयोजन के मासिक बिल का नियमित रूप से भुगतान किया जाता रहा है।

आवेदक के कथनानुसार उसका विद्युत कनेक्शन को जिस ट्रांसफार्मर से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है वह विगत काफी समय से ओव्हर लोड चल रहा है जिसके कारण बार–बार फेस जाने के कारण आवेदक द्वारा अनावेदक के फ्यूज ऑफ काल केन्द्र में शिकायत दर्ज कराई गई । अभ्यावेदन अनुसार दिनाँक 07.11.2024 से 20.11.2024 की अवधि में भी बार–बार फेस जाने एवं अन्य विद्युत व्यवधान की समस्या हुई, जिसके कारण आवेदक के कनेक्शन के मीटर का पाईंट जल गया था। उक्त सूचना दिये जाने पर अनावेदक के फ्यूज ऑफ काल केन्द्र द्वारा इस समस्या का आंशिक रूप से निराकरण किया गया एवं यह कहा गया कि आवेदक का मीटर बदला जावेगा।

अनावेदक द्वारा उक्त मीटर को दिनांक 25.11.2024 को बदला गया एवं माह दिसम्बर' 2024 का विद्युत देयक औसत के आधार पर 568 युनिट का जारी किया गया जिसका भुगतान आवेदक द्वारा दिनाँक 14.12.2024 को कर दिया गया । अनावेदक द्वारा आवेदक को लिखे पत्र क्र. 969 दिनाँक 08.01.2025 द्वारा **"जले मीटर बदलने** की राशि रू. 16,500/– का भुगतान 03 दिवस के भीतर किये जाने अन्यथा उक्त राशि को आगामी विद्युत देयक में जोड़ने का उल्लेख किया गया। अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उक्त मीटर की जांच हेतु उसकी मीटर टेस्टिंग प्रयोगशाला बड़वाह भेजा गया एवं इसकी लिखित सूचना उपभोक्ता को भी दी गई। आवेदक द्वारा दिनाँक 30.01.2025 को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त मीटर की जांच रिपोर्ट मांगी गई।

आवेदक ने अभ्यावेदन में यह कथन किया है कि अनावेदक द्वारा जो वादग्रस्त जले मीटर की राशि आवेदक से मांग की जा रही है वह विधि और नियम अनुसार आवेदक पर बंधनकारी नहीं है, क्योंकि आवेदक के द्वारा उक्त मीटर के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है बल्कि उक्त मीटर अनावेदक द्वारा आवेदक के कनेक्शन पर थ्री फेस सप्लाई नियमित रूप से प्रदान नहीं

किये जाने अर्थात् बार–बार एक फेस न मिल पाने के कारण मीटर जलने की राशि आवेदक से वसूली योग्य नहीं है।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर के समक्ष अनावेदक द्वारा यह उत्तर प्रस्तुत किया गया कि माह जुलाई' 2024 से माह अक्टूबर' 2024 तक की अवधि में स्वीकृत भार से अधिक उपयोग किये जाने पर 9.9, 13.4, एवं 9.98 किलोवाट एम.डी दर्ज पाई गई जिससे प्रतीत होता है कि उक्त कनेक्शन का अधिक भार का निरंतर उपयोग होने के कारण मीटर जला होगा।

उक्त मीटर की अनावेदक की प्रयोगशाला में जांच कराये जाने पर जला पाया गया। फोरम द्वारा उपरोक्त आधारों पर दिनाँक 24.03.2025 को वर्तमान प्रकरण का निराकरण किया जाकर जले मीटर की लागत राशि रू. 16,500/– विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 8.25 की मंशा के अनुसार वसूली योग्य पाया गया एवं आवेदक को उक्त राशि जमा करने हेतु निर्देशित करते हुए प्रकरण को अस्वीकार किया गया।

04. **आवेदक ने अभ्यावेदन में अपील के निम्न आधार प्रस्तुत किये हैः–**

i. *इन्दौर फोरम द्वारा वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया गया इसलिये उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।*

ii. *इन्दौर फोरम द्वारा वर्तमान प्रकरण में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज पर गंभीरतापूर्वक विशलेषण नहीं किया गया है।*

iii. *इन्दौर फोरम द्वारा इस तथ्य पर भी गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया है जब अपीलार्थी के परिसर से वादग्रस्त मीटर निकाला गया था तो उस समय **"मीटर नो डिस्पले"** का कारण दर्शाकर बदला गया था ऐसी स्थिति में प्रतिअपीलार्थी अपीलार्थी की किस त्रुटि के आधार पर वादग्रस्त मीटर की राशि प्राप्त कर सकता है।*

iv. *इन्दौर फोरम के समक्ष प्रतिअपीलार्थी द्वारा केवल मौखिक कथन एवं संभावना के आधार पर वर्तमान प्रकरण का निराकरण किया गया है जबकि अपीलार्थी द्वारा अपने समस्त कथनों के सर्मथन में विश्वसनीय दस्तावेज एवं ठोस प्रमाण प्रस्तुत किये जाने के उपरांत भी उनपर*

गंभीरतापूर्वक विचार न किया जाकर आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त किया जाने योग्य है।

v. *वादग्रस्त मीटर की जांच अपीलार्थी के समक्ष नहीं कराई गई है और ना ही विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका क्र. 8.16 एवं 8.17 के तहत कोई सूचना भी दी गई है इसलिये विधि और नियम की मंशा के मुताबिक वादग्रस्त मीटर की जांच रिपोर्ट अपीलार्थी पर बंधनकारी नहीं है।*

vi. *अपीलार्थी के द्वारा इन्दौर फोरम के समक्ष यह स्थिति भी स्पष्ट की गई थी कि अपीलार्थी का उक्त विद्युत कनेक्शन जिस विद्युत डी.पी. से प्रदान किया गया है उक्त विद्युत डी.पी. विगत कई समय से ओव्हर लोड होने से उक्त डी.पी. से बार–बार फेस कम होना एवं बार–बार जम्पर खराब होना एवं उक्त डी.पी. में आग लग जाने संबंधि समस्या होने कारण ही अपीलार्थी के विद्युत कनेक्शन का मीटर खराब हुआ है इस तकनीकि बिंदु का भी इन्दौर फोरम द्वारा सही ढंग से विश्लेषण नहीं कर गंभीर भूल की है।*

05. **प्रस्तुत अभ्यावेदन में आवेदक द्वारा निम्न प्रार्थना की गई :–**

"अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील स्वीकार किया जाकर इंदौर फोरम द्वारा पारित आदेश दिनाँक 24.03.2025 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी द्वारा भुगतान की गई राशि ब्याज सहित दिलाई जावें एवं वर्तमान अपील खर्च रू. 5000/– भी प्रतिअपीलार्थी से अपीलार्थी को दिलाये जाने संबंधि न्यायहित में आदेश प्रदान करने की कृपा की जावें।"

06. **विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा उक्त प्रकरण क्र. W0583225 में निम्नानुसार आदेश दिया गया :–**
फोरम का निर्णयः–

"फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारियों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता हैः–

01/ परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है।

02/ अभिमत में उल्लेखानुसार, विपक्ष द्वारा परिवादी के यहां जला मीटर होने के कारण राशि रू. 16,500/– का Meter Cost डिमाण्ड नोट दिया गया है, वह सही है, म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 8.25 के अनुसार परिवादी द्वारा जले मीटर की राशि जमा की जावे।

उक्तानुसार परिवाद निराकृत किया जाकर, आदेश पारित है।

07. **सुनवाई का संक्षिप्त विवरण**

दिनाँक 16.06.2025 की सुनवाई को आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनीस अंसारी उपस्थित हुए ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री अशफाक शेख, जूनियर इंजीनियर उपस्थित हुए ।

अनावेदक प्रतिनिधि श्री अशफाक शेख, जूनियर इंजीनियर द्वारा उक्त प्रकरण के संबंध में अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड में लिया गया तथा उक्त प्रत्युत्तर की एक प्रति आवेदक के अधिवक्ता को भी उपलब्ध कराई गई। सुनवाई के दौरान आवेदक अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई । अनावेदक प्रतिनिधि के द्वारा भी प्रकरण से संबंधित मुख्य बिन्दुओं पर मौखिक जानकारी दी गई । अगली सुनवाई में सहायक यंत्री, बड़वाह इस प्रकरण की विस्तृत टेस्टिंग रिपोर्ट के साथ सहायक यंत्री एल.टी.एम.टी. कासुनवाई में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया। सुनवाई के दौरान अनावेदक प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि वे प्रकरण से संबंधित निम्न जानकारी अग्रिम सुनवाई के पूर्व आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें :–

i. वह ट्रांसफार्मर जिससे आवेदक को विद्युत प्रदाय किया जा रहा है उससे संयोजित अन्य उपभोक्ताओं में से भी क्या किसी उपभोक्ता द्वारा माह नवम्बर, 2024 में मीटर जलने संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई थी ?

ii. क्या उस ट्रांसफार्मर पर ओवर लौडिंग है ? यदि नही ंतो उक्त ट्रांसफार्मर की क्षमता और संयोजित भार का विवरण बताएं ।

iii. क्या जले मीटर की कीमत ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदान करने अथवा उपयोग किए संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम 2022 यथा संशोधित के **अनुलग्नक – एक** में वर्णित जले हुए मापयंत्र की लागत की वसूली अनुसार है ?

उभयपक्षों की आपसी सहमति से अग्रिम सुनवाई **दिनांक 04 जुलाई, 2025** नियत की गई ।

दिनांक 04 जुलाई, 2025 की सुनवाई में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनीस अंसारी उपस्थित हुए। अनावेदक कम्पनी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि श्री अशफाक शेख, जूनियर इंजीनियर उपस्थित हुए। प्रकरण में अनावेदक प्रतिनिधि श्रीमती प्रतिभा सिंह, सहायक यंत्री, एल.टी.एल.टी. बड़वाह भी उपस्थित हुई।

अनावेदक प्रतिनिधि श्री अशफाक शेख, जूनियर इंजीनियर द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 16.6.2025 को सुनवाई के दौरान चाही गई जानकारी लिखित रूप से प्रस्तुत की गई, जिसे रिकार्ड में लिया गया तथा उक्त जानकारी की एक प्रति आवेदक अधिवक्ता को उपलब्ध कराई गई ।

अनावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर में जले मीटर की राशि की गणना का आधार पर प्रस्तुत नहीं किया गया। अनावेदक द्वारा उक्त बिन्दु पर जानकारी प्रस्तुत करने हेतु 10 दिवस का समय मांगा, जो कि दिया गया।

सुनवाई के दौरान अनावेदक प्रतिनिधि श्रीमती प्रतिभा सिंह, सहायक यंत्री, एल.टी.एम.टी., बड़वाह द्वारा यह कथन किया गया कि प्रकरण में जो मीटर उनको टेस्टिंग हेतु प्राप्त हुआ था उसका टर्मिनल जला था एवं मीटर कोई डिस्पले भी नहीं कर रहा था। उक्त कारण से इस प्रकरण में मीटर पर आगे किसी प्रकार का परीक्षण किया जाना संभव नहीं था। अतः इस प्रकरण में विस्तृत जांच रिपोर्ट नहीं बनायी जा सकती थी एवं मीटर को ''जले एवं नो–डिस्पले'' की सूची के साथ वापिस भेज दिया गया है।

सहायक यंत्री, एलटीएमटी द्वारा यह भी कथन किया गया कि वर्तमान प्रकरण में ''मीटर डिस्पोसल एवं रिप्लेस्मेंट स्लिप'' में मीटर की जांच कराये जाने का उपभोक्ता द्वारा कोई उल्लेख नहीं होने के कारण एवं अनावेदक द्वारा उनको इस हेतु किसी प्रकार की सूचना नहीं होने के कारण उक्त मीटर की जांच उपभोक्ता के समक्ष नहीं की गई।

सहायक यंत्री, एलटीएमटी द्वारा लिखित उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत मौखिक कथन को प्रकरण की दैनिक आर्डर शीट में रिकार्ड किया गया।

उभय पक्षों को पूर्ण रूप से सुना गया एवं उपरोक्तानुसार उत्तर प्राप्त होने के प्रत्याशा में प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित रखा गया।

08. **सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा अपना लिखित प्रतिउत्तर निम्नानुसार प्रस्तुत किया :–**

1. *अपीलार्थी श्री मलिक अशरफ मोहम्मद आदिल, मीठा, आजाद नगर, बुरहानपुर, सर्विस क्रं. 73–07–3957008605 के नाम पर औद्योगिक श्रेणी, 10 एच.पी., थ्री फेस का विद्युत संयोग उपयोग/ उपभोग हेतु अवांटित था, किन्तु अपीलार्थी के द्वारा उक्त विद्युत संयोग पर निरंतर स्वीकृत भार 10 एच.पी. (7.457 कि.वा.) से अधिक भार संयोजित कर उपयोग किया जा रहा था। जिससे माह जुलाई' 2024, सितम्बर' 2024 एवं माह अक्टूबर' 2024 में मीटर में अधिकतम मांग क्रमशः एमडी, 9.9*

किवा., 13.4 किवा. एवं 9.98 किवा. दर्ज पायी गई हैं। उक्त स्थिति में माह दिसम्बर' 2024 में विद्युत संयोग की भार वृद्धि 10 एच.पी. से 13 एच.पी की गई हैं।

2. *अपीलार्थी के द्वारा प्रकरण के संबंध में जो भी संक्षिप्त कथन किये गये है। वह सब बनावटी कथन तथ्यहीन है एवं स्वीकार योग्य नहीं हैं।*

अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोग से संबंधित विद्युत डी.पी. से अन्य औद्योगिक पावरलूम एंव अन्य श्रेणी के विद्युत कनेक्शन प्रदान किये गये हैं। उक्त क्षेत्र के अन्य औद्योगिक पावरलूम एवं अन्य श्रेणी कनेक्शनों में मीटर जलने के संबंध में शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं। उक्त क्षेत्र विद्युत व्यवस्था को 24 घंटों सुचारू रूप से बनाया रखा जाता हैं अकास्मिक परिस्थितियों में किसी कारण से यदि कोई फेस बंद होता हैं या कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न होती हैं तो यथाशिघ्र सुधार किया जाता है, विद्युत व्यवस्था निर्बाद्ध एवं सुचारू रूप से बनायी रखी जाती हैं।

3. *अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोग पर माह नवम्बर' 2024 तक मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के अनुसार विद्युत देयक जारी किये गये हैं। किन्तु माह दिसम्बर' 2024 में मीटर में आंकड़े प्रदर्शित होने के कारण माह दिसम्बर' 2024 में औसत मासिक खपत 568 युनिट के विद्युत देयक जारी किये गये हैं।*

4. *अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोग पर स्थित मीटर के डिस्प्ले पर आकड़े प्रदर्शित नहीं होने के कारण दिनांक 25.11.2024 को मीटर को प्रयोगशाला में जांच हेतु निकाला गया।*

5. *अपीलार्थी उक्त विद्युत संयोग से **दिनांक 25.11.2024** को निकाले गये मीटर को जांच हेतु प्रयोगशाला बड़वाह भेजा गया, जांच करने पर **मीटर नॉट डिस्प्ले एवं मीटर जला** पाया गया।*

6. *अपीलार्थी उक्त विद्युत संयोग पर दिनांक 25.11.2024 को निकाला गया मीटर प्रयोगशाला में जांच करने पर **नॉट डिस्प्ले एवं मीटर जला** पाया गया। उक्त आधार पर अपीलार्थी को दिनांक 08.01.2025 को जले मीटर की राशि रू. 16,500/— का भुगतान करने हेतु सूचित किया गया, किन्तु अपीलार्थी के द्वारा सूचना प्राप्ति के पश्चात् जले मीटर की राशि रू.16,500/— का भुगतान निर्धारित समयावधि में नहीं किया गया।*

7. *अपीलार्थी के द्वारा सूचना प्राप्ति के पश्चात् लम्बी समयावधि (चार माह) तक जले मीटर की राशि रू. 16,500/— का भुगतान नहीं किया गया। जले मीटर की राशि भुगतान न प्राप्त होने की स्थिति एवं उपरोक्त कंडिकाओं क्रं. 01 से लगातार 06 की सम्पूर्ण स्थितियों के दृष्टिगत, विद्युत प्रदाय संहिता,*

2021 की कंडिका 8.26 (ख) के तहत अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोग के माह अप्रैल' 2025 के विद्युत देयक में सीसीबी हेड के माध्यम से "जले मीटर की राशि" रू. 16,500/– जोड़ी गई हैं, जो कि पूर्ण भुगतान किये जाने योग्य है।

8. *अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोग पर दिनांक 25.11.2024 को निकाला गया मीटर प्रयोगशाला में जांच करने पर जला पाया गया हैं एवं दिनांक 25.11.2024 मीटर निकालने के पूर्व में माह जुलाई' 2024 सितम्बर' 2024 एवं माह अक्टूबर' 2024 में मीटर पर अधिकतम मांग क्रमशः एमडी 9.9 किवा 13.4 किवा एवं 9.98 किवा. दर्ज पायी गई हैं, जोकि पूर्व में स्वीकृत भार 10 एच.वी (7.457 कि.वा.) से अधिक दर्ज की गई हैं, इससे प्रतित होता है कि अपीलार्थी के द्वारा विंगत माह (जुलाई 2024 से लगातार अक्टूबर' 2024) के दौरान उक्त विद्युत संयोग पर सामान्य भार से अधिक भार/अन्य भार संयोजित किया गया होगा जिससे माह नवम्बर' 2024 में मीटर हीट हो के जल गया होगा।*

9. *अपीलार्थी के द्वारा अपील कंडिका क्रं. 01 से लगातार कंडिका क्रं. 06 के माध्यम से माननीय वि.उ.शि. नि.फो. इन्दौर को आरोपित करना गलत है कि उक्त प्रकरण में तथ्यात्मक एवं विधिक बिन्दुओं अवलोकन नहीं किया गया हैं, अपितू माननीय फोरम द्वारा पूर्ण अवलोकन, उभय–पक्षों के रखे गये तर्क कथन एवं पूर्ण सुनवाई के उपरांत ही आदेश प्रदान किया गया हैं, जोकि उभय–पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए।*

10. *अपीलार्थी की लेख कंडिका क्रं. 7 से लगातार कंडिका क्रं. 9 के प्रतिउत्तर की आवश्यकता हैं।*

11. *विद्युत लोकपाल भोपाल के समक्ष समान प्रवित्त के दर्ज प्रकरण क्रं. एल 00–09/2024, श्री नईम अख्तर मोहिबउल्ला, बुराहानपुर विरूद्ध कार्यपालन यंत्री (शहर संभाग), बुरहानपुर, पारित आदेश दिनांक 24.05.2024 में प्रतिअपीलार्थी कम्पनी के पक्ष में निर्णय पारित किया गया हैं।*

अतः विनम्र निवेदन हैं कि, प्रतिअपीलार्थी कम्पनी के द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर एवं दस्तावेजों के आधार पर उक्त अपील को सव्यय निरस्त कर आदेश पारित करने का कष्ट करेंगे।

09. **इस प्रकरण में अभ्यावेदन के साथ एवं सुनवाई के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए :–**

1. उपभोक्ता का विद्युत देयक दिनांक 08.05.2025 ।
2. अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उपभोक्ता की कंज्यूमर रिपोर्ट।
3. उपभोक्ता का सितंबर, 2023 से जून 2025 तक की विद्युत खपत एवं बिलिंग का विवरण।

4. उपभोक्ता की ''मीटर रिपलेसमेंट रिपोर्ट एवं पीडी फार्म''।
5. मीटर टेस्टिंग प्रयोगशाला, बड़वाह द्वारा प्रेषित बंद एवं खराब मीटरों की वह सूची जिसमें उपभोक्ता के विवादित मीटर भी है।
6. अनावेदक के पत्र दिनांक 08.01.2025 जिसके द्वारा उपभोक्ता से जले मीटर की लागत राशि रूपये 16,500/– के भुगतान हेतु मांग की गई।
7. म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 एवं मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोगकिये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम, 2022 में जले हुए मापयंत्र से संबंधित प्रावधान की प्रतिलिपि।
8. आवेदक को विद्युत प्रदाय करने वाले विद्युत ट्रांसफार्मर से संयोजित सभी 13 उपभोक्ताओं की सूची।
9. उक्त विद्युत ट्रांसफार्मर पर उपकरण द्वारा रिकार्ड किये गये वोल्टेज एवं लोड की फोटो प्रति।

10. **निष्कर्ष एवं निर्णयः–**

आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में प्रदत्त जानकारी, उभयपक्षों द्वारा अभिलेखों पर प्रस्तुत किए गए दस्तोवज एवं सुनवाई में पाए गए तथ्यों के आधार पर इस प्रकरण में निष्कर्ष एवं निर्णय निम्नानुसार है :–

(i) आवेदक/उपभोक्ता को 13 एच.पी. स्वीकृत भार का आटा चक्की हेतु विद्युत संयोजन अनावेदक द्वारा प्रदाय किया गया है। उक्त संयोजन का सर्विस कनेक्शन नं. N3957008605 है। उपभोक्ता का विद्युत मीटर माह नवंबर, 2024 में टर्मिनल जलने एवं डिस्पले बंद होने के कारण खराब हो गया। उक्त जले/खराब मीटर को अनावेदन द्वारा दिनांक 25.11.2024 को बदल दिया एवं माह दिसंबर, 2024 का विद्युत देयक औसत खपत के आधार पर जारी किया गया। उक्त विद्युत देयक का भुगतान आवेदक द्वारा बिना किसी विवाद के कर दिया गया।

(ii) उक्त बंद/खराब मीटर को अनावेदक द्वारा मीटर परीक्षण प्रयोगशाला, बड़वाह भेजकर उसकी जांच कराई गई जिसमें मीटर जला पाया गया। तत्पश्चात्, 08 जनवरी, 2025 को अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता से जले हुए मीटर की लागत रूपये 16,500/– का भुगतान तीन दिवस के अंदर करने हेतु पत्र लिखा गया। आवेदक द्वारा जले/खराब मीटर की राशि का विरोध करते हुए मीटर की परीक्षण रिपोर्ट मांगी गई। अभ्यावेदन में आवेदक के कथन अनुसार आवेदक/उपभोक्ता को मीटर परीक्षण

की विस्तृत रिपोर्ट की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं कराई गई। आवेदक द्वारा उक्त राशि रूपये 16,500/– का भुगतान नहीं किये जाने पर अनावेदक द्वारा उक्त राशि को आगामी माह के विद्युत देयक में जोड़ दिया गया।

(iii) आवेदक ने उक्त जले मीटर की लागत राशि की मांग के विरूद्ध विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर शिकायत दर्ज कराई। फोरम द्वारा शिकायत को प्रकरण क्रमांक W0583225 पर दर्ज किया गया एवं उभय पक्षों को सुनकर दिनांक 24.03.2025 को उपभोक्ता का परिवाद अस्वीकार करते हुए उपभोक्ता को जले मीटर की राशि रूपये 16,500/– जमा किये जाने का आदेश दिया। उपरोक्त आदेश से असंतुष्ट होने के कारण आवेदक ने यह अभ्यावेदन विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत किया एवं अभ्यावेदन में उक्त विवादित राशि के 50 प्रतिशत राशि के भुगतान माह मई, 2025 के विद्युत देयक में किये जाने की पुष्टि करते हुए मई, 2025 के विद्युत देयक की प्रति भी संलग्न की।

(iv) इस प्रकरण में उपभोक्ता के जले हुए मीटर की लागत रूपये 16,500/– की अनावेदक द्वारा मांग पर विवाद है एवं अभ्यावेदन में आवेदक द्वारा उक्त राशि की मांग को निम्न आधारों पर निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया हैं :–

(अ) उपभोक्ता परिसर से वादग्रस्त मीटर निकालते समय ''मीटर रिप्लेसमेंट एवं पीडी फार्म'' में ''मीटर नो डिसप्ले'' दर्शाकर मीटर को बदला गया।

(ब) आवेदक/उपभोक्ता के परिसर में लगे मीटर के जलने का कारण उसको विद्युत सप्लाई प्रदाय करने वाले ट्रांसफार्मर पर क्षमता से अधिक लोड़ होना एवं बार–बार जंपर/फेस जाना है जिसके लिये उपभोक्ता उत्तरदायी नहीं है।

(स) आवेदक/उपभोक्ता के वादग्रस्त मीटर की जांच अनावेदक द्वारा म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 की कंडिका क्रमांक 8.16 एवं 8.17 में प्रावधान के अनुसार उपभोक्ता को बिना सूचना के एवं उसकी उपस्थिति में नहीं कराई गई, इसलिये मीटर की परीक्षण रिपोर्ट आवेदक पर बंधनकारी नहीं है।

(v) आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आधारों के परीक्षण हेतु सहायक यंत्री, एल.टी.एम.टी., बड़वाह को भी प्रतिअपीलार्थी बनाना उचित समझ कर उनको दिनांक 4.7.2025 की सुनवाई में उपस्थित होने हेतु

नोटिस भेजा गया। इसके साथ–साथ अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी से निम्न दस्तावेज/जानकारी मंगाई गई :–

(अ) प्रयोगशाला द्वारा विवादित मीटर की विस्तृत परीक्षण रिपोर्ट।

(ब) उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय किये जाने वाले ट्रांसफार्मर की क्षमता, वोल्टेज तथा लोड और कुल संयोजित भार का विवरण।

(स) उक्त ट्रांसफार्मर से संयोजित अन्य विद्युत उपभोक्ताओं के माह नवंबर, 2024 में मीटर जलने की शिकायतें संबंधित जानकारी।

(द) क्या जले मीटर की कीमत ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदान करने अथवा उपयोग किए संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम 2022 यथा संशोधित के **अनुलग्नक – एक** में वर्णित जले हुए मापयंत्र की लागत की वसूली अनुसार है ?

(vi) सुनवाई के दौरान सहायक यंत्री, एल.टी.एम.टी., बड़वाह द्वारा दिये गये कथन से यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता के मीटर का टर्मिनल जलने एवं डिस्पले बंद होने के कारण उक्त मीटर की कार्यप्रणाली से संबंधित किसी प्रकार की विस्तृत जांच की जाना तकनीकी रूप से संभव नहीं थी इसलिए अन्य खराब या शंकास्पद कार्यप्रणाली वाले मीटर के परीक्षण जैसी कोई विस्तृत परीक्षण रिपोर्ट इस प्रकरण में नहीं बनाई गई। अतः उक्त कारणों से मीटर की बाहरी जांच कर ''जले एवं खराब'' की टिप्पणी की सूची के साथ मीटर को संबंधित कार्यालय को भेज दिया गया।

(vii) अनावेदक द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के साथ अनुलग्नक आर–2 पर प्रस्तुत ''मीटर रिप्लेसमेंट एवं पीडी फार्म'' में यह स्पष्ट है कि आवेदक/उपभोक्ता का मीटर दिनांक 25.11.2024 को ''बंद एवं नो डिस्पले'' होने के कारण बदला गया। उक्त रिपोर्ट, जिस पर उपभोक्ता के भी हस्ताक्षर हैं, की टीप में यह स्पष्ट लेख है कि एल.टी.एम.टी. द्वारा मीटर की टेस्ट रिपोर्ट उपभोक्ता को स्वीकार होगी। उक्त उपभोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट पर उपभोक्ता द्वारा उसकी उपस्थिति में मीटर की जांच करने हेतु कोई लेख नहीं पाया गया। प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार उपभोक्ता से जले/खराब मीटर के परीक्षण हेतु किसी प्रकार के परीक्षण शुल्क का भुगतान नहीं कराया गया है।

(viii) अनावेदक के प्रतिउत्तर में प्रस्तुत दस्तावेज एवं जानकारी अनुसार उपभोक्ता को 200 के.व्ही. ए. क्षमता वाले ट्रांसफार्मर से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। उक्त ट्रांसफार्मर से कुल 13 उपभोक्ताओं को

विद्युत प्रदाय किया जाता है एवं उक्त 200 के.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर पर कुल 101 एच.पी. ही लोड़ (विद्युत भार) है जो कि उसकी क्षमता से कम है।

(ix) अनावेदक द्वारा लिखित कथन में यह भी लेख है कि उक्त ट्रांसफार्मर से संयोजित किसी भी अन्य उपभोक्ता द्वारा दिनांक 7.11.2024 से 27.11.2024 तक मीटर जलने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई। इसके अतिरिक्त अनावेदक द्वारा यह लेख किया कि उक्त ट्रांसफार्मर की दिनांक 30.06.2025 को तकनीकी जांच करने पर वोल्टेज एवं विद्युत भार उचित पाया गया।

उपरोक्त सभी कथनों के साक्ष्य में अनावेदक द्वारा उसके प्रतिउत्तर दिनांक 04.07.2025 के साथ वे समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, जिनका उल्लेख इस आदेश के पैरा क्रमांक 9 में है। अतः आवेदक का यह कथन कि चूंकि उसका विद्युत मीटर अनावेदक के ट्रांसफार्मर पर अधिक लोड एवं उसकी तकनीकी खराबी से जला है, इसलिये मीटर जलने का उत्तरदायित्व उपभोक्ता का नहीं है, तर्क संगत नहीं पाया जाता हैं।

(x) आवेदक का विवादित मीटर उपभोक्ता के परिसर में ही बंद एवं नो डिस्पले के साथ–साथ परीक्षण में जला पाया गया। ऐसे प्रकरण में म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 यथासंशोधित की कंडिका 8. 23, 8.25 एवं 8.26 में निम्न प्रावधान हैं :–

"8.23 जैसे ही उपभोक्ता के संज्ञान में यह बात आती है कि उसका मापयंत्र (मीटर) वाचन उसके द्वारा की जा रही विद्युत की वास्तविक खपत के आनुपातिक नहीं है या फिर मापयंत्र मुद्रांकन (सील) क्षतिग्रस्त हो गया है, मापयंत्र जल गया है या फिर क्षतिग्रस्त हो गया है, मापयंत्र रूक गया है/विद्युत खपत को अभिलेखबद्ध (रिकार्डिंग) नहीं कर रहाा है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह इसकी सूचना अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान करे। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को प्रस्तुत सूचना की पावती (अभिस्वीकृति) प्रदान की जाएगी।

8.25 सूचना की प्रस्तुति के समय उपभोक्ता से कोई भी परीक्षण शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा। यदि मापयंत्र दोष पूर्ण अथवा जला हुआ पाया जाता है तो उपभोक्ता को नवीन मापयंत्र (मीटर) लागत को वहन करना होगा तथा परीक्षण शुल्क को उपभोक्ता के अनुवर्ती देयकों के माध्यम से प्रभारित किया जाएगा।

8.26 दोषपूर्ण या जले हुए या चोरी गए मापयंत्रों (मीटरों) का प्रतिस्थापन निम्नानुसार किया जाएगा:–

(क) या तो उपभोक्ता की शिकायत पर या फिर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निरीक्षण किये जाने पर, यदि मापयंत्र (मीटर) प्रथमदृष्टया ऐसे कारणों, जिनके लिये उपभोक्ता उत्तरदायी न हो, के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त, चोरी हुआ पाया जाता है, तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी समय–सीमा, जैसी कि यह इस धारा की उपधारा (ग) में निर्दिष्ट की गई है, के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर एक नये मापयंत्र (मीटर) के माध्यम से विद्युत आपूर्ति पुनः स्थापित करेगा,

(ख) यदि, जांच–पड़ताल के पश्चात् यह पाया जाता है कि मापयंत्र (मीटर) ऐसे कारणों, जिसके लिये उपभोक्ता उत्तरदायी है, के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त या जला या चोरी हुआ है तो उपभोक्ता से आवश्यक प्रभारों की वसूली समय–समय पर संशोधित तथा यथाप्रयोज्य मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदान करने अथवा उपयोग किए संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम के अनुसार की जाएगी,

(ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शहरी क्षेत्रों में चौबीस घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में बहत्तर घंटे के भीतर मापयंत्र (मीटर) प्रतिस्थापित किया जाएगा।"

(xi) आवेदक के जले/खराब मीटर को दिनांक 25.11.2024 को ही बदल दिया गया एवं मीटर को परीक्षण हेतु अनावेदक की प्रयोगशाला में भेज दिया गया। उपभोक्ता से मीटर परीक्षण शुल्क नहीं लिया गया। इस प्रकरण में परीक्षण उपरांत प्राप्त तथ्यों के आधार पर उपरोक्त कंडिका 8.26 (ख) में प्रावधान अनुसार उपभोक्ता के जले मीटर की लागत की वसूली करने के लिए अनावेदक अधिकृत है। उक्त लागत की वसूली **मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम**, 2022 यथा संशोधित के अनुलग्नक एक (मापन एवं अन्य प्रभारों की अनुसूची) की कंडिका पांच में निम्न प्रावधान अनुसार होगी :–

जले हुए मापयंत्र (मीटर मापन उपकरण (मीटरिंग इक्विपमेंट) की लागत की वसूली

जले हुए मापयंत्र (मीटर) मापन उपकरण (मीटरिंग इक्विपमेंट) की लागत की वसूली जब उपभोक्ता का इस बाबत् उत्तरदायित्व स्थापित हो चुका हो	पूर्ण ह्रासित मूल्य (डेपरिशियेटिड कॉस्ट)

(xii) उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जले हुए मीटर की लागत का भुगतान आवेदक द्वारा किया जाना है, तथापि जले हुए मीटर की लागत की वसूली उपरोक्त पैरा (xi) में वर्णित विनियम में प्रावधान के अनुसार होगी। इस प्रकरण में अंतिम सुनवाई दिनांक 04.07.2025 को अनावेदक से जले हुए मीटर की लागत राशि संबंधित मांगी गई जानकारी के परिपालन में अनावेदक द्वारा पत्र क्रमांक 2572 दिनांक 16.07.2025 को संशोधित अतिरिक्त उत्तर में यह कथन किया कि अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोग सर्विस क्र. 73–7–3957008605 का मीटर क्रमांक MPP25392 विद्युत स्थापना वर्ष 2016 में स्थापित किया गया एवं माह अक्टूबर, 2024 तक लगा रहा एवं उक्त मीटर माह नवंबर, 2024 में उपभोक्ता की असावधानी के कारण जल गया।

(xii) अनावेदक ने उपरोक्त लिखित उत्तर में यह जानकारी दी गई कि म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोगकिये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम, 2022 में प्रावधान अनुसार इस प्रकरण में उपभोक्ता से जले हुए मीटर की राशि रूपये 12,618/– वसूली योग्य है।

11. उपरोक्तानुसार समस्त बिन्दुओं पर परीक्षण उपरांत प्राप्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि **म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2021** यथा संशोधित की कंडिका 8.25 एवं 8.26 एवं **म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम, 2022** में प्रावधनों के अनुसार अनावेदक (आवेदक द्वारा पूर्व में जमा की गई राशि को समायोजित करते हुए) जले हुए मीटर की लागत की वसूली हेतु आवेदक द्वारा भुगतान हेतु मांग पत्र अविलंब प्रेषित करें एवं आवेदक मांग पत्र में विनिर्दिष्ठ समय–सीमा अनुसार उक्त राशि का भुगतान सुनिश्चित करे।

12 फोरम का आदेश जले हुए मीटर की लागत राशि को छोड़कर यथावत रहेगा।

13 उक्त निर्णय एवं निर्देश के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

14 आदेश की प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

(गजेन्द्र तिवारी)
विद्युत लोकपाल